

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक २१३/१९-१९/९०५५

बैतूल/दिनांक ३१/०७/१९

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षे. (हे.) में।	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल म0प्र0	बैतूल	अखतवाडा	9.436	कार्यापालन यंत्री, ज. सं.संभाग क्रमांक 2, बैतूल	गढा जलाशय (मध्यम परियोजना)

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)


क्र.	शासकीय भूमि मद	ख.नं.	कुल रकबा हे.	अर्जित भूमि का रकबा हे.
1	2	2	3	4
1	गोविन्द व. पांडू जाति पवार पता सा. खेड़ी भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.50	2/1	0.546	0.546
2	मोहन व. कन्हई जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 3.50	2/2	0.547	0.547
3	लखन व. पांडू जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 10.50	2/3	0.547	0.547
4	सुनिता बेवा गोरेलाल मुकेश सतश व. गोरेलाल जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.25	2/5	0.274	0.274
5	लखन व. पांडू जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी	2/6	0.188	0.188
6	राजू व. गोविन्द जाति पवार पता सा. खेड़ीसावलीगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 5.00	2/7	1.094	1.094
7	सुनिता बेवा गोरेलाल मुकेश सतश व. गोरेलाल जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी	2/8	1.094	0.420
8	सायबू व. बाबू जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि	2/9	1.093	0.510

	स्वामी			
9	प्यारे व. कन्हई जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 3.50	2/10	0.458	0.110
10	गज्जू व. कन्हई जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50	2/11	0.458	0.006
11	प्यारे व. कन्हई जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी	2/14	0.458	0.458
12	सरजेराव व. गोविन्द जाति पवार पता निवासी खेड़ीसावलीगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 5.00	2/15	1.094	1.094
13	परसराम मधुसूदन नेकराम शंकर पिता सुन्दरलाल कुसुम पिता सुदरलाल जाति कलार पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 6.60	3/1	1.760	0.330
14	रविशंकर पिता रामेश्वर जाति कलार पता सा.खेड़ी सावलीगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 9.00	3/2	2.731	0.159
15	रविशंकर पिता रामेश्वर जाति कलार पता सा.खेड़ी सावलीगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 2.40	3/4	0.971	0.410
16	अर्जूनसिंह व. बुद्धूसिंह जाति राजपुत पता सा. खेड़ीसावलीगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 7.45	15/3	2.472	0.110
17	सुनिता बे. गोरेलाल मुकेश सतीश व. गोरेलाल जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी	16/2	0.151	0.003
18	लखन व. पाण्डू जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमिस्वामी	16/3	0.303	0.110
19	प्यारे व. कन्हई जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमिस्वामी	16/4	0.101	0.005
20	गज्जू व. कन्हई जाति पवार पता निवासी खेड़ी भूमि स्वामी	16/5	0.101	0.006
21	मोहन व.कन्हई जाति पवार पता निवासी खेड भूमिस्वामी	16/6	0.102	0.007
22	राजू व. गोविन्द जाति पवार पता सा. खेड़ीसावलीगढ़ भूमि स्वामी	16/7	0.152	0.020
23	सुरेश व. कलीराम जाति कुन्बी पता सा. खेड़ीसावलीगढ़ भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 2.00	19/1	0.405	0.405
24	धनश्याम व. कलीराम जाति कुन्बी पता निवासी खेड़ीसावलीगढ़ भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 2.00	19/2	0.405	0.405
25	अनिश व. गुलाबराव सुमन बे. गुलाबराव अनिता प्रीति पुत्री गुलाबराव जाति कुन्बी पता सा. खेड़ीसावलीगढ़ भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 2.00	20/1	0.587	0.130

26	हरिराम व. उमराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.00	20/2	0.229	0.130
27	बाया बे. भभीसन सरवन व. भभीसन उर्मिला ममता पिता भभीसन जाति कुन्बी पता निवासी खेड़ीसावलीगढ़ भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.43	20/3	0.215	0.215
28	उमेश प्रदीप व. श्रीराम गीतासंगीता पिता श्रीराम जाति कुन्बी पता निवासी खेड़ीसावलीगढ़ भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.00	20/7	0.229	0.190
29	नारायण व. उमराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	20/10	0.230	0.230
30	अर्जुनसिंह व. बुददूसिंह जाति राजपुत पता सा. खेड़ीसावलीगढ़ भूमि स्वामी	34/2	0.777	0.777
योग :-			19.772	9.436

1. चूंकि गढा जलाशय (मध्यम परियोजना), हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन/की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की बेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(
शशंक मिश्र) 21/12


कलेक्टर बैतूल, एवं समुचित सरकार,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 २१ भ 82/वर्ष 18-19/ 9054/

बैतूल/दिनांक 31/07/18

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजस्व भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
3. कार्यलपान यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल कर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेषर प्रतियां एक माह के भितर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी एन.आई.सी. सेन्टर, बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय, बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषिम एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनिश्चित करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनिश्चित करें।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
9. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खेडीसावलीगढ (अखतवाडा) तहसील बैतूल जिला बैतूल म0प्र0 की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


(शशाक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल, एवं समुचित सरकार,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग